संख्या-7/2019/3/4/86-का-2/2019

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 04 दिसम्बर, 2019

विषय:- विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,

1)	शासनादेश संख्या-3/4/86-का-2 /1998, दिनांक 02-09-1998
2)	शासनादेश संख्या-3/4/86-का-2 /1998, दिनांक 15-09-1998 (दो)
3)	शासनादेश संख्या-18/1/2001/का-2/ 2001, दिनांक 04.10.2001
4)	शासनादेश संख्या-3/4/86-का-2 /2011, दिनांक 29.04.2011

जिसके माध्यम से उ0प्र0 (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-ग के पदों पर सीधी भती की प्रक्रिया नियमावली-1998 एवं 2002 से आच्छादित पदों तथा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की सुविधा एवं अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-16-110/ 2003-III, दिनांक 26.02.2013 के द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए कतिपय सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये है।

3. उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उक्त संदर्भित शासनादेशों के माध्यम से केवल दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक व अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 26.02.2013 द्वारा समस्त विकलांगजनों को सुविधायें प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा लागू व्यवस्था को अपनाये जाने पर कार्मिक विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेशों में कतिपय प्राविधान अप्रासंगिक हो गये है। अतः भारत सरकार के उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 26.02.2013 के अनुक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेशों एवं इस सम्बन्ध में अन्य सम्बन्धित शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

http://shasanadesh.up.gov.in

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त समस्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा प्रदान की जायः-

1) नियमित और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग मानदंड तय करने की आवश्यकता नहीं है।
2) किसी व्यक्ति को 40 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता होने पर Scribe/Reader/Lab Assistant की सुविधा दी जानी चाहिए, यदि उस व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग की जाती है।
3) उम्मीदवार को अपने स्वयं के स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक के लिए चयन करने का विकल्प होना चाहिए या उसे परीक्षा निकाय से अनुरोध करना चाहिए। परीक्षा निकाय परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार जिला/मंडल/राज्य स्तर पर पैनल बनाने के लिए स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की पहचान भी कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा से एक दिन पहले स्क्राइब से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उम्मीदवारों को यह जांचने और सत्यापित करने का मौका मिले कि स्क्राइब उपयुक्त है या नहीं।
4) शैक्षणिक योग्यता, अंक, आयु या अन्य ऐसे प्रतिबंध के मानदंड स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक के लिए निर्धारित नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, अन्तरीक्षक व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि परीक्षा के दौरान नकल करने और धोखा देने जैसे कार्य करने वाले स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक का उपयोग अभ्यर्थी न करें।
5) अपरिहार्य स्थिति में स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक में किसी भी परिवर्तन को समायोजित करने में भी लचीलापन होना चाहिए। उम्मीदवारों को विशेष रूप से भाषाओं के लिए अलग-अलग पत्र लिखने के लिए एक से अधिक स्क्राइब/रीडर लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
6) विकलांग व्यक्तियों को परीक्षाओं के लिए ब्रेल में या कंप्यूटर में या बड़े प्रिंट में या फिर उत्तर भी दर्ज करने का माध्यम चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए क्योंकि परीक्षा देने वाले निकाय आसानी से बड़े प्रिंटों में प्रश्न पत्र को परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। ई-टेक्स्ट, या ब्रेल और अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रेल टेक्स्ट भी बदल सकते हैं।
7) उम्मीदवारों को एक दिन पहले कंप्यूटर सिस्टम की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि समस्याओं, जैसे कि सॉफ्टवेयर/सिस्टम में रेक्टिफाई हो सके।
8) स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सरल होना चाहिए और फॉर्म भरने के समय आवश्यक विवरण रिकार्डेड होने चाहिए। तत्पश्चात, परीक्षा लेने वाले निकाय को उम्मीदवार द्वारा चुने गए प्रारूप में प्रश्न पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ परीक्षा देने के लिए उपयुक्त बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9) किसी भी स्थान पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाना चाहिए।

10) शब्द ''Extra Time या Additional Time '' जिसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, को ''Compensatory Time '' में बदल दिया जाना चाहिए और परीक्षा में जो लोग स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक का उपयोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए 20 मिनट प्रति घंटे से कम नहीं होना चाहिए। । विकलांगता की सुविधा का लाभ नहीं लेने वाले सभी उम्मीदवारों को 3 घंटे की अवधि की परीक्षा के लिए न्यूनतम एक घंटे का अतिरिक्त समय देने की अनुमति दी जा सकती है जो कि मामले को केस-टू-केस के आधार पर आगे बढ़ाई जा सकती है।

11) उम्मीदवारों को सहायक उपकरणों जैसे बात करने वाले कैलकुलेटर (उन मामलों में जहां कैलकुलेटर परीक्षा देने की अनुमति है), टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट, अबेकस, ज्यामिति किट, ब्रेल मापने का टेप और संचार चार्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे संवर्धित संचार उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

12) परीक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था (अधिमानतः भूतल पर) परीक्षा शुरू होने से पहले की जानी चाहिए क्योंकि परीक्षा के दिन भ्रम या व्याकुलता की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रश्न-पत्र देने का समय सही-सही इंगित किया जाना चाहिए और अनुपूरक पत्रों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

13) परीक्षा नियामक संस्था को ब्रेल या ई-टेक्स्ट में या ओपेन बुक परीक्षा के लिए उपयुक्त स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स वाले कंप्यूटर पर पठन सामग्री प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार ऑनलाइन परीक्षा सुलभ प्रारूप में होनी चाहिए अर्थात् वेबसाइट प्रश्न पत्र और अन्य सभी अध्ययन सामग्री निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुलभ होनी चाहिए। नियमित और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग मानदंड तय करने की आवश्यकता नहीं है।

14) श्रवणह्रास अभ्यर्थियों को वर्णनात्मक प्रश्नों की जगह वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, वैकल्पिक प्रश्न देने की मौजूदा नीति की जगह दृश्य इनपुट वाले प्रश्नों को दिया जाना चाहिए।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ शासन के उपरोक्त निर्णयों से भी अवश्य अवगत करा दिया जाय।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-7/2019/3(1)/4/86-का-2/2019-तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द मोहन चित्रांशी

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।